आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को सजा

संवाद न्यूज एजेंसी

बलरामपुर। 20 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अदालत से

अभियोजन के अनुसार 10 अक्तूबर 2006 को ललिया थाना की पुलिस ने आरोपी ननकने बढ़ई के पास से एक चाकू बरामद किया था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम असगर अली ने आरोपी को सजा सुनाई।

आरोपी को मिली सजा

बलरामपुर। 28 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 10 जनवरी 1998 को रेहरा बाजार थाना की पुलिस ने एक आरोपी के पास से तमंचा बरामद किया था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला सिद्धार्थ सोलंकी ने आरोपी खेमराज को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)

पॉक्सो के मामले में आरोप तय

बलरामपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राहुल सिंह की अदालत ने पॉक्सो से जुड़े एक मामले में आरोपी के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट में आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए गए। आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। कोर्ट ने साक्ष्य के लिए 31 अगस्त की तिथि नियत की है। (संवाद)

अदालत ने मामले का लिया संज्ञान

बलरामपुर। पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राहुल सिंह की अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर माना कि मामले में विचारण चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोप पत्र पर कोई लिखित या मौखिक आपत्ति पेश नहीं की गई। अदालत ने अभियुक्त के जमानत न होने के कारण उसकी उपस्थिति के लिए समन जारी करने का आदेश दिया। (संवाद)